



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 638950

(प्रारूप- "अ")

हम (नाम अध्यक्ष) तारकेश्वर उपाध्याय, (सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पता) रामराजी महाराजी स्मारक जनसेवा न्यास, ग्राम-भवतर चक भवतर, पोस्ट-गम्भीरपुर, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ शपथपूर्वक निम्नव बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा रामराजी महाराजी स्मारक जनसेवा न्यास, (संस्था नाम एवं पता) जी०डी० फार्मसी कालेज, ग्राम-भवतर चक भवतर, पोस्ट-गम्भीरपुर, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम- रामराजी महाराजी स्मारक जनसेवा न्यास, (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) ग्राम-भवतर चक भवतर, पोस्ट-गम्भीरपुर, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ में गाटा सं० 588 एवं 591 रकबा क्रमश 0.6110 हेक्टेयर एवं 0.2590 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8700 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 588 एवं 591 रकबा क्रमश 0.6110 एवं 0.2590 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8700 हेक्टेयर) पर उपरोक्त भूमि की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 09.11.2020 द्वारा पारित किया गया है।



✓ तारकेश्वर उपाध्याय

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निति भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



(Signature)
हो अध्यक्ष

अध्यक्ष
राज्यीय कानून मंत्रालय
नया दिल्ली